न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश,द्वितीय सह विशेष न्यायाधीश,उत्पाद,समस्तीपुर।

सिंघिया थाना काण्ड सं0 139/20, कम्पयूटर निबंधन सं0 912/2020

16.9.20 आवेदक **1. नौशाद आलम 2. मो0 निशारूल(मो0 सिराजुल),** जो सिंघिया थाना काण्ड सं0 139/20, धारा–37(b)(c) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि0 16 के अन्तर्गत दि0 10.9.20 से काराधीन है, की ओर से ऑनलाईन दाखिल जमानत आवेदन पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना। आवेदक मो0 सिराजुल की ओर से एक आवेदन देकर प्रार्थना किया गया है कि उसकी ओर से दाखिल जमानत आवेदन में टंकण की भूल से मो0 सिराजुल के स्थान पर मो0 निशारूल टंकित हो गया है। अतः उसे सुधार करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता श्री ऋषि कुमार के द्वारा जमानत आवेदन प्रचालित करते हुए कथन किया गया, कि आवेदक निर्दोष है, उन्होंने कोई अपराध कारित नही किया है। उसके विरूद्व लगाया गया आरोप मनगढ़ंत, असत्य एवं निराधार है। उसने किसी प्रकार के शराब का सेवन नही किया है। उसे मात्र दुश्मनी के कारण इस वाद में फॅसा दिया गया है। आरोपित धाराएँ उसके विरूद्व नही बनती है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नही है। वह दि0 10.9.20 से काराधीन है। अतः उसे जमानत पर मुक्त करने का आदेश देने की कृपा की जाए।

विद्वान वि0 लोक अभियोजक श्री अरूण कुमार सिन्हा के द्वारा जमानत का विरोध किया गया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। इस वाद की प्राथमिकी आवेदक अभियुक्तगण एवं अन्य के विरूद्व धारा–37(b)(c) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधि0 16 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार अभियुक्तगण के विरूद्व शराब पीकर घटनास्थल पर हंगामा करने तथा राहगीरो के साथ गाली–गलौज करने का आरोप है जिसका सूचक द्वारा ब्रेथ एनालाईजर से जॉच करने पर अभियुक्त नौशाद आलम का बी0ए0सी0 244.3एम0जी0/100एम0एल0 एवं अभियुक्त मो0 शिराज (सिराजूल) का बी0ए0सी0 104.5एम0जी0/100एम0एल0 पाया गया। अभियुक्तगण दि0 10.9.20 से काराधीन है।

उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में आरोप की प्रकृति एवं कारावधि को देखते हुए आवेदक अभियुक्तगण को मो0 दस हजार रू0 के बंद्व–पत्र एवं समान राशि के दो प्रतिभूति दाखिल करने पर जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाता है। साथ ही यह भी आदेश दिया जाता है कि आवेदकगण इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वाद के निस्तारण तक प्रत्येक निश्चित तिथि को न्यायालय में सदेह उपस्थित रहेगा। कोविड–19 महामारी के लाकडाउन के कारण प्रतिभूति, व्यक्तिगत उपस्थित न होकर अपने स्वयं के द्वारा अभिप्रमाणित आधार कार्ड की छाया प्रति के साथ इस आशय का वचन पत्र देगा, कि वह आवेदक अभियुक्तगण **1. नौशाद आलम 2. मो0 निशारूल(मो0 सिराजुल)** का जमानतदार होना स्वीकार करता है और लाकडाउन अवधि समाप्त होने के 10 दिनो के अन्दर–अन्दर व्यक्तिगत रूप से न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपने बंद्य–पत्र को सम्पुष्ट करेगा। प्रतिभूति, अपनी जायदाद के कागजात के साथ अभियुक्त का नाम, पता, केस नम्बर, और अभियुक्त से अपने संबंध का उल्लेख रहेगा, के साथ **Virtual Hearing**

Facilitator Apps.पर डालेगा।

लेखापित

प्र0अपर सत्र न्या0–2
सह वि0 न्या0उत्पाद